

संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

आदर्श पंडवानी ग्रंथ गायन का शानदार प्रस्तुति कुंडा में



स्वदेश कुण्डा, कवर्धा :- पहली बार कुण्डा, मे आदर्श पंडवानी ग्रंथ गायन का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य ईश्वरी राम साहू के घर जन्मोत्सव कार्यक्रम में आयोजन किया गया था जिसमें आदर्श पंडवानी ग्रंथ गायन का गायिका त्रिवेणी साहू के द्वारा आए हुए अतिथियों मन मोह लिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें साहू समाज के लोग एवं ग्राम वासियों एवं क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम का, आनंद लिए इस, अवसर पर रामस्वरूप साहू महेश्वर साहू ईश्वरी राम साहू दुर्जन साहू सुधा राम साहू, कच राम साहू, बहुरन साहू, रामकुमार साहू, मुकेश साहू, सहित बड़ी समाज के लोग एवं ग्रामवासी क्षेत्रवासी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)

ईश्वरहार

ई कोर्ट नं. ग्राम अरीद तहसील बालोद एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पद्मा दत्ता पति श्री विवेकानन्द दत्ता जाति गन्धर्वनिक निवासी ग्राम वार्ड नं. 01, 22 बी. 3एक 1 एकड़ टाइट पंडर दल्लौराजहरा तहसील डौणडी जिला बालोद द्वारा ग्राम अरीद प.ह.नं. 10 स्थित भूमि खसरा नं. 592/17 रकबा 0.053 हे. गैर कृषि - आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु पर्याप्त न्याय आवेदन नक्शा खसरा एवं बी-1, ब्लू प्रिंट, ऋण पुस्तिका व अधिकार अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति / दावा स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उद्घोषणा दिनांक 06/11/24 के पश्चात प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 21/10/24 को जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छतीसगढ़)

क्रमांक:रा.न्या.वि.प्र./राय/निविदा/M-4346/2024 दिनांक 23/10/2024

Tender राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.) के फोरेंसिक साईकोलॉजी शाखा हेतु निम्नांकित उपकरण का क्रय किया जाना है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित किया जाता है :-

Table with 2 columns: S.No, उपकरण का नाम, रायपुर

विस्तृत विवरण: कौशल विकास राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिक्करपारा, पुनरी पार्क के पास रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-492001. दूरभाष (कार्यालय) 0771-3501122 कार्यालय के वेबसाइट www.fslcg.nic.in से अनलाइन आवेदन का विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्राप्त करने (डाउनलोड) किया जा सकता है। निविदा प्राप्त संवाहक, राय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के नाम किसी भी रजिस्ट्रीकरण फीस से बेहतर रूप से 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) का नक्का प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है। (संवाहक महोदय द्वारा अनुमोदित)

हेतु-संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद

Table with 2 columns: क्र.सं, विवरण, कार्य का विवरण

रैंज क्लर्क/रैंज ऑफिसर/रैंज ऑफिसर (सहायक) IBB/ITP-002/ITP-005/41/2017-2018/11618

प्रोजेक्ट उन्नति से उद्यमी की राह में ग्रामीण, 30 से अधिक प्रकार के ट्रेड में प्रशिक्षण की है सुविधा महात्मा गांधी नरेगा योजना से 100 दिनों का रोजगार पाकर प्रोजेक्ट उन्नति का लाभ ले रहे ग्रामीण

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा हर हाथ को कम काम का वाजिब दाम का कहावत पूरा होता दिखता है। (क्योंकि एक ओर जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना से किसी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार मजदूरी सहित मिल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सौ दिवस का रोजगार पूरा करने के बाद प्रोजेक्ट उन्नति से विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का रास्ता भी खुलता है। जिससे ग्रामीणों के लिए उद्यमी बनने का मार्ग प्रसरत होता है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) कवर्धा द्वारा वर्तमान में प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत 34-34 के दो बैच में महिलाओं को कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी (ग्राम महाराटोला जनपद पंचायत स.लोहारा) एवं अगरबत्ती निर्माण (ग्राम



डबराबाट जनपद पंचायत (एसेसमेंट एजाम) का आयोजन लिखित कवर्धा) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं, सेटलमेंट एवम बैंक लिंकेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना व्यवसाय को आगे बढ़ाने कच्चे माल की उपलब्धता मार्केटिंग सहित शासन की विभिन्न करना व्यवसाय को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इसी क्रम में जनपद पंचायत लोहारा क्षेत्र की महिलाओं का प्रशिक्षण हो रहा है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

एकता में ही शक्ति का भाव निहित है, सभी किसान संगठित होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हों : रोहित

स्वदेश संवाददाता, नवापारा राजिम।

गुरुवार को किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति ब्लॉक फिंगेश्वर के कार्यालय का ग्राम श्यामनगर में फीता काटकर शुभारंभ उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजिम विधानसभा के विधायक रोहित साहू, अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू, विशिष्ट अतिथि जनपद कृषि सभापति जगदीश साहू, जनपद सदस्य दीपक साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष पाण्डुका संदीप पाण्डेय, महामंत्री प्रकाश

रोहित साहू ने कहा कि किसानों को आय दोगुना करने तथा वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक खेती करने को लेकर इस प्रकार के एफपीओ का गठन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि एफपीओ के माध्यम से किसान एक मंच पर आकर जहां उन्नत तरीके से खेती कर पाएंगे, वहीं खेती को व्यावसायिक बनाने में भी उन्हें मदद मिलेगी। किसान एकजुटता के साथ कार्य करेंगे तो समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे तथा उन्हें किसी भी कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एकता में ही शक्ति का भाव निहित होता है इस बात को समझकर सभी को इस संगठन को आगे बढ़ाना है।

सेजेस राजिम के शाला विकास समिति सदस्यों ने विधायक रोहित साहू को सौंपा ज्ञापन

नवापारा राजिम। नगर के प्रतिष्ठित शासकीय राम विशाल पांडेय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजिम के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य गण विद्यालय के विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में राजिम विधायक रोहित साहू से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा किये। भवन निर्माण, शिक्षक समस्या, सहित

सेजेस राजिम को भी केन्द्र सरकार की पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल करवाने हेतु पहल करने का निवेदन किया। धीमी गति से चल रहे भवन निर्माण कार्य के संबंध में विधायक रोहित साहू ने स्वयं पी.डब्ल्यू.डी के एजीक्यूटिव इंजीनियर से बात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। एजीक्यूटिव इंजीनियर ने विधायक को आवस्त किया कि निर्माण कार्य के लिए अगले किस्त की राशि जारी हो चुकी है अतः निर्माण कार्य जल्दी पूरा किया जाएगा।

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना 1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(घ) के साथ पठित धारा 62 और केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(क) और विनियम 23 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत विनियमक आयोग (टैरिफ विनियम के नियम व शर्तों) 2024 के अंतर्गत उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में "बाद ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत परिसंपत्तियों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका।

Table with 2 columns: बिजली क्षेत्र, टैरिफ

क) 2019-24 ब्लॉक

Table with 2 columns: बिजली क्षेत्र, टैरिफ

ख) 2024-29 ब्लॉक

Table with 2 columns: बिजली क्षेत्र, टैरिफ

ग) 2024-29 ब्लॉक

Table with 2 columns: बिजली क्षेत्र, टैरिफ

घ) 2024-29 ब्लॉक

हस्ता / - महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कलेक्टर एस जयवर्धन को जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने दी विदाई

मोहला। जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के प्रथम कलेक्टर श्री एस जयवर्धन का जिला सूरजपुर स्थानांतरण होने पर जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों ने आज भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के नेतृत्व, मार्गदर्शन और शिष्टता को याद कर जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों की आंखें नम हुईं। अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करते हुए उज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में यहां अधिकारी-कर्मचारियों के साथ किए गये उल्लेखनीय कार्यों को स्मरण किया।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, प्लेनिसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर फ्लैट, मुम्बई-400013. शाखा कार्यालय : पहली मंजिल पुजारी चैम्बर्स एनएच नं. 43 पचपेडी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8(6) सपटित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तिियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएफएफएल), को बैंक अधोक्षिकित अचल संपत्ति जिसका टीसीएफएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक 11-11-2024 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थान / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 11-11-2024 को दोपहर 2.00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहूर्तवर्द्ध ई-नीलामी हेतु ईएमपीएस का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएफएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 09-11-2024 को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल पुजारी चैम्बर्स एनएच नं. 43 पचपेडी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 पर प्राप्त किए जायेंगे। प्रत्याभूत संपत्ति/ अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

Table with 5 columns: क्र.सं, अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, अंतिम जमा राशि, आधिपत्य का प्रकार

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति फ्लैट नं. सी-404, चौथी मंजिल स्थित क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट, के समस्त भाग एवं अंश, खसरा नं. 441, 442/1, पी.सी. नं. 36/24 (आर.आई.सी.) का भाग वार्ड नं. 39 'ग्रीन हाइडस', चौथा तल, बसंत पुर स्टेडियम रोड (बी.सी. रोड), कोरिनामाटा, - राजनांदगांव, तहसील और जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में स्थित है। चर्तुसीमा:- पूर्व - बी-401, पश्चिम:- सीडी एवं मार्ग, उत्तर:- सी-403, दक्षिण:- खुला मार्ग

श्री प्रशांत कुमार सखार श्रीमती अनुसुइया सखार

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति समस्त भाग एवं अंश, .020 हेक्टेयर अर्थात 2400 वर्गफीट की परिवर्तित लगान रु. 7.20 की भूमि प.उ. पर निर्मित मकान, परिवर्तित खसरा नं. 152/72, मोजा ग्राम बंधियाटोला (स्थानीय वार्ड 09, अम्बेडकर वार्ड) प.ह.नं. 3.8, एन.पी.पी. डोंगरगुह, तहसील डोंगरगुह, जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में स्थित है। चर्तुसीमा:- पूर्व - नंदू गजमिएण का मकान, पश्चिम:- मनोज इंद्रकरक का मकान, उत्तर:- कुसुम सखार का मकान, दक्षिण:- रोड

नीलामी में, सर्वसामान्य जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली (ऑ) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एतद् द्वारा कर्जदार (रॉ) सह-कर्जदार (रॉ) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिनों के भीतर मविध्य के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है, ऐसा न होने पर अचल संपत्तियों को निष्पत्ति कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। यदि उपरोक्त बकाया राशि, ब्याज व लागतें (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास जमा कर दी जाती है या उसे प्रमाण देकर यह संतुष्ट कराया जाता है कि ऐसे प्रत्याभूत ऋण, ब्याज व लागत को चुकता कर दिया गया है, तो बिक्री रोक दी जायेगी। इस बिक्री में संलग्न कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो बोली कर सकता है और न ही उक्त बेची गई संपत्ति में कोई हित अग्रिहीत कर सकता है या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता है। बिक्री बताई गई शर्तों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के तहत होगा।

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 11-11-2024 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 05 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें: 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उद्घोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: रु. 10,000/- (दस हजार मात्र) 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ 'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड' के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएँ। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनएफपी/ आईएसपीएस के माध्यम से ईएमपीडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्त वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगें कि पैदाशक मूल्य स्वरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक 28-10-2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद चूक राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमपीडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड के पास जम्द हो जायेगी और चुकटाई खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण अथवा संपत्ति निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया अनलाइन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4बलोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 इनके सम्पर्क के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कर्नाटक एवं गोवा - मोबाइल नं. 8142000809, srinivas@bankauctions.in, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश - मोबाइल नं. 8142000664, prakash@bankauctions.in, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वीय राज्य - मोबाइल नं. 814200030, pradhan@bankauctions.in तमिलनाडु एवं केरल मोबाइल नं. 8142000735, dinesh@bankauctions.in दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तरी राज्य मोबाइल नं. 9515160064, prakash@bankauctions.in, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश मोबाइल नं. 8142000725, Arjit@bankauctions.in, ईंग्लैंड आईडी : info@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल, ई-मेल आईडी: Manish.Bansal@tatacapital.com, प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 999078669 पर भेजें। 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट http://surl.lisfwb.com का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएँ : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें: टीसीएफएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : रायपुर दिनांक : 25.10.2024

ह/ - (प्राधिकृत अधिकारी) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

कार्यालय नगर पालिका परिषद बोदरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

E-Mail ID- cmobodri@rediffmail.com Phone-07752-275329

क्रमांक / 1360/निविदा/न.पं./2024-25 चोदरी दिनांक 23/10/2024

प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना

न.पं. बोदरी में सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा (ई-टेंडर) हेतु (CGPWD ROAD & BUILDING SOR 01.01.2015, ELECTRICAL SOR 01.06.2020, PHE SOR 07.02.2015), फार्म-अ (प्रतिशत दर) अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

Table with 5 columns: क्र.सं, सिस्टम टेंडर क्र., कार्य का विवरण, ई-निविदा प्रारंभ की तिथि, ई-निविदा की अंतिम तिथि, निविदा दस्तावेज प्राप्त एवं परिधान तिथि, ई-निविदा खोलने की तिथि

निविदा में भाग लेने वाले ई-टेंडर फर्म/ठेकेदार एवं कार्य से सम्बन्धित अन्य समस्त जानकारी कार्यालयीन अवधि में लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है एवं Main Portal; https://eproc.cgstate.gov.in/www.uad.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

--: सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग प्रतिबंध है उपयोग नहीं करें पर्यावरण स्वच्छ बनाये नुर्माने से बचे :-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बोदरी